सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, हमीरपुर

पत्रांक – 404/ स्पीड /अधिसूचना/ स0सु0/2020

दिनांक–17.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा –112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित मे मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहॉ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के मोटर यान रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियो की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपराधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हमीरपुर जनपद होकर संचालित वाहनो को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों के मार्गो के या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0सं0	मार्ग का नाम एंव संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबन्धित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटो तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एंव स्तम्भ 4,5 एंव 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर–महोबा–सागर मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग–34, राष्ट्रीय राज मार्ग से सम्बन्धित है। 43 कि0मी0	हमीरपुर से गहबरा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	हमीरपुर–कालपी मार्ग, राज्य मार्ग–91, दूरी 22 कि0मी0	हमीरपुर से सरसई	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	मौदहा–बिवॉर (अन्य जिला मार्ग– मुस्करा–राठ (राज्य मार्ग सं0– 42), दूरी – 61 कि0मी0	मौदहा से राठ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	मौदहा– टिकरी–इचौली मार्ग (एम0डी0आर0–10) दूरी–25 कि0मी0	मौदहा से इचौली	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	सुमेरपुर –टेढा– जसपुरा (राज्य मार्ग संख्या– 134), दूरी–16.25 कि0मी0	ग्राम इसुली से सुमेरपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

6	इंगोहटा– छानी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 18.00 कि0मी0	इंगोहटा से छानी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	मौदहा– कुन्हेटा– बसवारी (प्रमुख जिला मार्ग)– राठ (राज्य मार्ग, दूरी–57.70 कि0मी0	मौदहा से राठ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	सुमेरपुर –पंधरी–टोला–सिसोलर– टिकरी (अन्य जिला मार्ग) दूरी 32.310 कि0मी0	सुमेरपुर से टिकरी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	कुरारा–मनकी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 23.150 कि0मी0	कुरारा– मनकी सेतु	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	कुरारा –भौली –भटपुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 14.43 कि0मी0	कुरारा– भटपुरा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	कुरारा –बेरी– कदौरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग, 24.10 कि0मी0	कुरारा –बेरी – कदौरा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	हमीरपुर– राठ (एस0एच0–42), 93.05 किमी0	हमीरपुर–राठ–मझगवॉ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	बिलरायां पनवाड़ी मार्ग (एस0एच0–21), 42.841 किमी0	चिकासी –राठ – गिरवर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	मुस्करा – खरेला (ग्रामीण मार्ग) 50 किमी0	हमीरपुर –मुस्करा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	बिवॉर –सरीला–राठ (ग्रामीण मार्ग) 90 किमी0	हमीरपुर –बिवॉर –सरीला– राठ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा –

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर– प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1988 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–
   अ) अग्नि शमन वाहन
   ब) एम्बुलेन्स।
   स) पुलिस वाहन।
   द) कानून एंव व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
   य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोडकर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 137, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञासे

(भगवान प्रसाद)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
हमीरपुर

पृ0सं0– 404 / अधि0 / स0सु0 / 2020 समदिनांकित –
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चित्रकूटधाम, सम्भाग, बांदा
7. निदेशक, लेखन एंव मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, सरोजनी नायडू मार्ग–प्रयागराज / ऐशबाग लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के आगामी प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड–2 / विश्व बैंक खण्ड, झांसी, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विभिन्न मार्गो पर उपरोक्त विभिन्न गति के बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त बिहार नौबस्ता कानपुर / गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
10. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / जिला पंचायत / नगर पंचायत।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
/ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
हमीरपुर